



प्रेस विज्ञप्ति
18.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सकतर सिंह उर्फ लाड्डी, उसके भाई मखन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। आरोपी व्यक्तियों ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से संपत्ति अर्जित की थी। माननीय न्यायालय ने 17.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने पंजाब पुलिस और एनसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, 03.02.2023 को तहसील नौशेरन पन्नाओं के गांव शेरोन और नौशेरन पन्नाओन और तहसील तरनतारन के गांव बुघा में स्थित 10 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी कार्रवाई की गई।

इससे पहले 12.07.2024 को, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 3.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों, बैंक में जमा राशि और नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने सकतर सिंह उर्फ लाड्डी को 04.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।